न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 87 / 2020 / आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. भूदाराम पुत्र गीगाराम जाति जाट निवासी गोवटी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — **19.01.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 469 रकबा 3.0100 है0 वाके ग्राम बृसिंगपुरा पटवार हल्का लढाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। उपरोक्त भूमिं में प्रार्थी के पिताजी का गलत नाम गंगाराम पुत्र भूराराम दर्ज चल रहा है जो गलत है। उक्त कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 139 / 2 रहे है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिताजी गीगाराम ने पूर्व खातेदार हनुमान सिंह मानसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह वगैरह से कय की थी। नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 10.04.1973 से उक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई। उक्त नामान्तकरण में प्रार्थी के पिताजी का सही नाम गीगाराम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 में सही नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 में सही नाम गीगाराम दर्ज है परन्तु विभागीय कर्मचारियों की भूल व गलती के कारण जमाबंदी सम्वत् 2040 से 2043 में प्रार्थी के पिताजी का गलत नाम गंगाराम पुत्र भूराराम दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत नाम वर्तमान जमाबन्दी तक बदस्तुर जारी है। प्रार्थी का पिताजी निरक्षर व्यक्ति था जिसने बिना जरूरत के कभी भी स्वंय के उक्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं हुई। प्रार्थी के पिताजी की मृत्यु दिनांक 29.11.2017 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र में गीगाराम पुत्र भूराराम के नाम से बना हुआ है। प्रार्थी स्वर्गीय गीगाराम का मात्र अकेला वारिस उत्तराधिकारी है। प्रार्थी ने कई अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का अनुनय किया परन्तु सभी ने श्रीमान के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह देने पर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः आवदेन

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 469 रकबा 3.0100 है0 वाके ग्राम बृसिंगपुरा पटवार हल्का लढाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी के पिताजी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गंगाराम पुत्र भूराराम के स्थान पर प्रार्थी के पिताजी का सही व वास्तिविक नाम गीगाराम पुत्र भूराराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी ने स्वयं तथा अन्य पड़ोसी खातेदार रामलाल पुत्र हरबक्साराम के बयान कलमबद्ध किये गये तथा निवेदन किया कि प्रार्थी के पिताजी का सही नाम गीगाराम पुत्र भूराराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी के पिताजी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गंगाराम पुत्र भूराराम के स्थान पर प्रार्थी के पिताजी का सही व वास्तिविक नाम गीगाराम पुत्र भूराराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी व पडोसी खातेदार के लिए गये कलमबद्ध बयानों पर गौर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। प्रार्थी **का आवदेन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 469 रकबा 3.0100 है0 वाके ग्राम बृसिंगपुरा पटवार हल्का लढाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज प्रार्थी के पिताजी का नाम गंगाराम पुत्र भूराराम के स्थान पर प्रार्थी के पिताजी का सही व वास्तिविक नाम गंगाराम उर्फ गीगाराम** पुत्र **भूराराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर** रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ